सम्बद्ध छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

पं. राम दुलारे मिश्र महाविद्यालय

(स्ववित्त पोषित)

बेथर - उन्नाव

विवरण पत्रिका

सत्र- 20 - 20

मूल्य : रु. 100/-

सम्पर्क सूत्र : Mob. 7408078611, 7408818863

आत्म निवेदन

उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव का बड़ा विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण पतित पावनी माँ गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसी विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम बेथर जो भारत के महान हिन्दी साहित्यकार एवं समालोचक पं0 प्रताप नारायण मिश्र की जन्म स्थली एवं कर्म स्थली है, अपनी साहित्यिक उर्वरा भूमि के लिये प्रख्यात है। ग्राम बेथर उन्नाव शहर व गंगा कटरी के गाँवों से जुड़ा हुआ है, जहां आसपास कई इण्टर कालेज होने के बावजूद यहाँ कोई महाविद्यालय न होने से खासतौर पर कटरी क्षेत्र में छात्र/छात्राएँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। झोपड़ी से लेकर साधन सम्पन्न परिवार का कोई बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित न रहे यह मेरे पिता परम पूज्य पं0 करुणा शंकर त्रिवेदी जी का सपना था, जिसे साकार रूप देते हुए मैंने ग्राम बेथर में पं0 राम दुलारे मिश्र महाविद्यालय का निर्माण कराया है। महाविद्यालय के निर्माण हेतु प्रेरक के रूप में पंडित बाबूलाल मिश्र ने अपनी भूमि महाविद्यालय के निर्माण हेतु देकर उच्च शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने में अभूतपूर्व सहयोग दिया है।

यह महाविद्यालय बी.ए. व बी.एस.सी. पाठ्यक्रमों का संचालन एक साथ करके इस क्षेत्र में उच्चशिक्षा के विकास में एक सराहनीय योगदान करने जा रहा है। संस्थान के निरन्तर विकास की संकल्पना को मूर्तरूप देने का प्रयास हम सभी का परम् कर्तव्य एवं दायित्व है।

"समाज, क्षेत्र व प्रदेश की मूलभूत प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ-साथ रोजगार परक कार्यशालाएँ आयोजित कर छात्र छात्राओं को आज आधुनिक युग के साथ जोड़ने के लिये संस्थान दृढ़ संकल्पित है। मुझे विश्वास है कि मेरे उद्‌गार पढ़ने व समझने के बाद सम्पूर्ण समाज का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।

डॉ० आशीष कुमार त्रिवेदी
प्रबन्धक

स्नातक कला संकाय

स्नातक कक्षा में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू है। पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। प्रत्येक छात्र को तीन विषय निम्नतालिका से चुनने होंगे। प्रवेश योग्यता क्रम के आधार पर होगा।

1. हिन्दी सा0	2. अंग्रेजी सा0	3. इतिहास
4. समाजशास्त्र	5. शिक्षा शास्त्र	6. राजनीतिविज्ञान
7. गृह विज्ञान	8. भूगोल	9. चित्रकला

कोई भी विद्यार्थी दो से अधिक साहित्य विषय के रूप में चुनने का अधिकारी नहीं होगा।

स्नातक विज्ञान संकाय

विज्ञान संवर्ग दो भागों में विभाजित है प्रत्येक छात्र को 'ए' अथवा 'बी' में से कोई एक भाग चुनना होगा।

भाग - 'ए' :- 1. भौतिक विज्ञान, 2. रसायन विज्ञान, 3. गणित

भाग - 'बी' :- 1. जन्तु विज्ञान, 2. वनस्पति विज्ञान, 3. रसायन विज्ञान

बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में पर्यावरण अध्ययन विषय प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से लेना व परीक्षा देनी होगी।

इन विषयों के अलावा यदि कोई विद्यार्थी धोखे से अपना प्रवेश करा लेता है, तो उसका प्रवेश रद्‌द माना जायेगा एवं परीक्षा में न बैठ पाने का उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।

महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी सूचनायें

1. नियमित सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही प्रवेश आरम्भ होगा और महाविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश की अन्तिम तिथि तक चलेगा किन्तु यदि प्रवेश निर्धारित संख्या तक किसी कारण अथवा विषय में हो चुके है तो पहले बन्द हो जायेगे।
2. संस्थागत छात्र को स्नातक कक्षाओं में तीन वर्ष से अधिक का समय नहीं दिया जायेगा।

हमारा लक्ष्य

"इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युव पीढ़ी का निर्माण हो सके जो राष्ट्रभक्ति से ओत–प्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो तथा जो जीवन क वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलता पूर्वक कर सके और उसका जीवन ग्रामीण वनवासी, गिरिकन्दराओं एवं झुग्गी–झोपड़ियो में निवास करने वाले दीन–दुःख अभावग्रस्त अपने बान्धवों को सामाजिक कुरीतियों, शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, सुरम्य एवं सुसंस्कृत बनाने के लिये समर्पित हो।"

संलग्नक का विवरण

स्नातक कक्षाओं के प्रवेशार्थी आवेदन पत्र भरते समय निम्न प्रपत्र संलग्न करें –

1– जन्मतिथि के लिये हाईस्कूल का सत्यापित प्रमाण पत्र व अंकतालिका।

2– हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के सत्यापित अंकपत्र (स्नातक प्रथम वर्ष व लिये)

3– स्नातक प्रथम वर्ष की सत्यापित अंकतालिका स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रवेशार्थ तथा स्नातक द्वितीय वर्ष की सत्यापित अंकतालिका स्नातक तृतीय वर्ष व प्रवेशार्थी संलग्न करें।

4– पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवेशार्थी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।

5– महाविद्यालय में प्रथम बार नया प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों को अन्तिम संस्था प्राप्त मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

6– समस्त नये अभ्यर्थी अन्तिम संस्था से मिला चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति ह संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी ने पूर्व परीक्षा को व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण किया ह तो वह कोई भी राज पत्रित अधिकारी, सांसद तथा विधायक आदि से मिल हुआ नवीनतम छह माह तक की अवधि का मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न क तथा केन्द्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करें।

7– यदि अभ्यर्थी को किसी खेलकूद एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि पाठ्यक्रम सहभागी अथवा पाठ्योत्तर कार्यकलाप में प्रवीणता मिली हो तो उसकी भ प्रमाणित प्रति संलग्न करे।

8– अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई हो या जो अभ्यर्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय स स्थानान्तरित होकर सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो विगत विश्वविद्यालय से मिला हुआ मूल प्रवजन प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

प्रवेश शुल्क :-

प्रवेश समिति की संस्तुति के पश्चात् निर्धारित शुल्क सम्बन्धित बैंक में महाविद्यालय से प्रवेश बाउचर प्राप्त होने के बाद जमा करना होगा। शुल्क जमा कर देने के बाद लौटाया नहीं जायेगा। प्रवेश अस्वीकृत होने की दशा में शुल्क वापस किया जा सकता है। महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है। प्रवेश स्वीकृत हो जाने पर प्रवेशार्थी को शुल्क जमा करना होगा। शुल्क की दरें विश्वविद्यालय की वर्तमान दरों पर आधारित हैं। बिना शुल्क जमा किये किसी अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं माना जायेगा।

परिचय पत्र :-

1. प्रवेश के समय सभी कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को लिपिक से परिचय पत्र प्राप्त करना होगा।
2. छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र सुरक्षित रखना चाहिये। खो जाने पर निर्धारित शुल्क 20रू. जमा करके दूसरा परिचय पत्र मिल सकेगा।
3. महाविद्यालय कार्यालय से किसी भी भुगतान अथवा शुल्क जमा करने के लिये काउन्टर पर परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. परिचय पत्र की प्रविष्टि पूर्ण करके इस पर निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज फोटो चिपका कर विद्यार्थी मुख्य नियन्ता (प्राक्टर/प्राचार्य) से हस्ताक्षर करा लें।
5. छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र सदा अपने साथ रखना चाहिये और अधिकारियों के माँगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

पुस्तकालय एवं वाचनालय :-

1. महाविद्यालय में संचालित विषयों की पुस्तकों का एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय से संलग्न वाचनालय है जिसमें छात्र/छात्राओं को विविध विषयक पत्रिकाओं के पढ़ने की व्यवस्था है।
2. पुस्तकों को किसी भी प्रकार की क्षति होने पर, खो जाने पर उसकी पूर्ति का दायित्व सम्बन्धित छात्र पर होगा।

3. कोई भी अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध अपराधिक मामले दर्ज हो या दण्डित हो उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. महाविद्यालय अधिनियम के अनुसार प्रवेश का पूर्ण अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है। वह बिना कारण बताये कोई भी प्रवेश न लेने के लिये अधिकृत है।

5. प्रवेशार्थी को किसी कक्षा में प्रवेश हेतु उसकी पूर्व परीक्षा में कम से कम निन्यूनतम अंक प्राप्त होना चाहिये। किन्तु प्रवेश योग्यता क्रम में उपलब्ध सीटों के आधार पर होंगे।

6. महाविद्यालय की प्रवेश समिति को किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश देने अथना न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. गलत सूचना देकर प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

8. अनुत्तीर्ण होने और परीक्षा में न बैठने की दशा में पुनः प्रवेश कदापि न दिया जायेग। ऐसे छात्र भू0पू0 छात्र के रूप में परीक्षा दे सकेंगे।

9. नकल में पकड़े गए छात्र/छत्राओं को अथवा महाविद्यालय के अनुशासनहीनता में दण्डित या जिनके विरूद्ध महाविद्यालय में तोड़फोड़, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्रता एवं दुर्व्यवहार करने की शिकायत है, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

10. समस्त छात्र/छात्राओं को सम्पूर्ण शुल्क एक मुश्त में देना होगा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में उसका प्रवेश स्वतः समाप्त हो जायेगा जिसकी जिम्मेदारी छात्र की स्वयं होगी।

11. परिचय पत्र पर फोटो लगाना आश्यक है।

12. सभी छात्रवृत्तियाँ महाविद्यालय के छात्र रहंने की अवधि तक ही प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति फार्म आवेदन पत्र के साथ संलग्न है सभी प्रवृष्टियाँ भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ महाविद्यालय में अवश्य जमा करा दें, अन्यथा महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

उपस्थिति :-

सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय कानपुर से नियमानुसार प्रत्येक विद्याथी की प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। वांछित उपस्थिति न होने पर छात्र/छात्राओं को परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का आदेश प्रभावी होगा।

परीक्षा :-

महाविद्यालय के समस्त पंजीकृत छात्र/छात्राओं को सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा संचालित परीक्षा एवं महाविद्यालय द्वारा आयोजित अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। महाविद्यालय में समय–समय पर विषय के प्राध्यापकों द्वारा परीक्षा/टेस्ट लिये जाते हैं।

नोट :– परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करना अथवा उसमें सहयोग करना दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय में नकल विहीन परीक्षा सम्पादित करने में प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा की पवित्रता का बनाये रखना होगा।

आवश्यक निर्देश :-

1. समस्त छात्र/छात्रायें महाविद्यालय में मर्यादित आचरण करेंगे।
2. प्राचार्य की पूर्वानुमति के बिना महाविद्यालय परिसर में कोई सभा नहीं करेंगे।
3. महाविद्यालय परिसर में किसी मादक पदार्थ जैसे धूम्रपान, तम्बाकू, पानमसाला का प्रयोग वर्जित है।
4. छात्र/छात्रायें अपने वाहन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर ही खड़े करेंगे।
5. छात्र/छात्रायें महाविद्यालय में निरूद्देश्य इधर उधर नहीं घूमेंगे।
6. छात्र/छात्रायें अपने सहपाठियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।
7. छात्र/छात्रायें महाविद्यालय की दीवारों, फर्नीचर व फर्श को गंदा नहीं करेंगे।
8. उपरोक्त नियमों को भंग करने या किसी प्रकार के आपत्तिजनक कार्य में संलिप्तता पाये जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3. पुस्तकें न जमा करने पर उसे पुस्तकों का पूरा मूल्य तथा दण्ड जमा करने के पश्चात परीक्षा प्रवेश पत्र दिया जायेगा।
4. एक बार में एक पुस्तक चौदह दिनों के लिये निर्गत की जायेगी।
5. सन्दर्भ ग्रन्थ, जर्नल्स एवं अत्यधिक मूल्य की पुस्तकें किसी भी दशा में निर्गत नहीं की जायेगी उनको महाविद्यालय के वाचनालय में ही पढ़ा जा सकता है।
6. पुस्तकालय में इण्टरनेट की व्यवस्था है इसका उपयोग मेम्बर छात्र–छात्राओं द्वारा किया जा सकता है।
7. वाचनालय में किसी भी प्रकार का अशोभनीय आचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जायेगा। सम्बन्धित छात्र/छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

छात्रवृत्तियाँ :-

महाविद्यालय में निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग जाति एवं आय के आधार पर सामान्य जाति, पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विकलांग छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

1. योग्यता (मेरिट छात्रवृत्ति) : यह राज्य सरकार से मिलती है। इसके फार्म जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से उपलब्ध होते हैं तथा वहीं जमा होते है।
2. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति : यह गरीबी तथा योग्यता के आधार पर मिलती है। इसके फार्म जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त होते हैं।
3. सेना में कार्यरत/अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के आश्रितों के लिए छात्रवृत्ति फार्म सैनिक बोर्ड से मिलते है।
4. विकलांग छात्र–छात्राओं के लिये आर्थिक सहायता समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
5. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा अध्ययन समाप्त करने पर राज्य सरकार को ही प्राप्त धनराशि अदा करनी पड़ती है। इसके फार्म जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।
6. सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति की छात्रवृत्तियों के फार्म प्रवेश के समय ही भरे जायेंगे।

प्रेरणा श्रोत

स्व० बाबूलाल मिश्र

स्व० पं० रामदुलारे मिश्र

स्व० करुणा शंकर त्रिवेदी

(सेवा निवृत्त आयुध लिपिक)